In,

The court of Sub-Judge 1st, Patna City

T.P.S.-283/2019

Nilesh Kumar Singh ....Plaintiff

V/s

Ram Ishwar Singh ....Defendatns

आदेश

16.11.2021	आज Virtual Court है। वादी के विद्वान अधिवक्ता वाद में उपस्थित हुए वादी अपने दाखिल आवेदन पत्र दिनांक 07/04/2021 को संचालित कर निवेदन करते है कि इस वाद के प्रतिवादी संख्या-(1) राम ईश्वर सिंह की मृत्यु हो गई है तथा उनके वारिशान का नाम वाद पत्र में वादी एवं प्रतिवादी के रूप में अंकित है अतः वाद पत्र से प्रतिवादी सं0 (1) का नाम हटाया जाए। वादी के विद्वान अधिवक्ता का सुना। अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि उभय पक्षों के बीच संयुक्त संधि-पत्र दाखिल किया गया है। वादी की ओर से दाखिल आवेदन पत्र पर प्रतिवादीगण की ओर से No Objection अंकित किया गया है तथा दाखिल आवेदन पत्र शपथ युक्त है। अतः No Objection के आधार पर वादी की ओर से दाखिल आवेदन पत्र न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। कार्यपालक लिपिक वाद पत्र से प्रतिवादी सं0 (1) का नाम हटावें। वाद दिनांक 09-12-21 वास्ते संयुक्त संधि पत्र के आलोक में सिरिस्तेदार प्रतिवेदन हेतु। **अवर न्यायाधीश, प्रथम** **पटना सिटी**	